दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी बुधवार, 26 सितम्बर, 2012 / भाद्रपद 04, 1934 (शक)

संख्या-169

सदस्यों की गिरफतारी एवं रिहाई

1. माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित ए.सी.पी,, केन्द्रीय जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री एस.पी. रातावाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत दिनांक 20.09.2012 को 1040 बजे मूंजे चौक, पहाड़गंज से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 1050 बजे रिहा कर दिया गया।

2. माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उप—आयुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी के 56 कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत दिनांक 20.09.2012 को 1410 बजे लाल किला चौक पर एल.पी.जी. व पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विरूद्ध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 1440 बजे रिहा कर दिया गया।

पी.एन.मिश्रा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 26th September, 2012/Bhadrapad 4, 1934 (Saka)

No. 169

Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER.</u>

1. The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, received from A.C.P, Central District, Delhi:

Hon'ble Member of Legislative Assembly Delhi; namely Sh. S.P. Ratawal was detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 at 1040 hours on 20th September, 2012 while he along with his supporters was protesting against the price rise and FDI at Moonje Chowk, Pahar Ganj, Delhi.

He was released at 1050 hours from the same place on the same day.

2. The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, received from D.C.P, North District, Delhi:

Hon'ble Member of Legislative Assembly Delhi; namely Sh. Ramesh Bidhuri along with 56 workers of BJP was detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 at 1410 hours on 20th September, 2012 while he was demonstrating against hike in diesel prices, LPG cylinder and FDI announced by the Govt. of India at Red Fort Chowk, Delhi.

He was released at 1440 hours from the same place on the same day.

P.N. MISHRA Secretary